भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 165414

भूमि का प्रकार	–	कृषि भूमि
मौजा	–	लड़ामदा तहसील व जिला आगरा

विवरण विक्रीत आराजी – आराजी वाकै मौजा लड़ामदा तहसील व जिला आगरा खाता नं0 136 खसरा नं0 200 रकवई 3.7800 है0 लगानी 124 रूपया 95 पैसे साल में से 1/72 भाग यानी आराजी रकवई 0.0525 हैक्टेयर जो कृषिकीय भूमि है जो मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है जिसमें कोई ट्यूबवैल पेड़ व आबादी नहीं है जिसके आस पास 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है तथा क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। जिसकी बावत धारा–143 के अन्तर्गत काई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 165415

प्रतिफल की धनराशि	–	3,00,000/– रूपया
सरकारी मालियत	–	3,68,000/– रूपया
सर्किल	–	70,00,000/– रूपया है0
स्टाम्प	–	26,000/– रूपया

अन्य विवरण – उक्त आराजी कृषि भूमि है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प सर्किल रेट के अनुसार अदा किया गया है, जो किसी पक्के रोड पर स्थित नहीं है, जो मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, जिसका सर्किल रेट उपनिबंधक द्वितीय के यहाँ भाग 2(ख)(।।।) पेज नं0 36 कॉलम 5 पर अंकित है।

बालीचन्द   संजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 162857

विष्णु कान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
2013
कोषागार, आगरा

नाम विक्रेता –

कालीचरन पुत्र श्री सुन्दर पाल निवासी 31, राधिका बिहार पश्चिमपुरी, आगरा ..... फरीक अव्वल।

नाम क्रेता –

एम.आर. इन्फ्रा एस्टेट प्रा0 लि0 27/68, उमरईया वाली गली पथवारी, आगरा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि संजय दीक्षित पुत्र श्री गंगा प्रसाद दीक्षित निवासी सदरवन, बिचपुरी, आगरा ..... फरीक दोयम।

कालीचरण

संजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 162313

4

जो कि आराजी वाकै मौजा लड़ामदा तहसील व जिला आगरा खाता नं0 136 खसरा नं0 200 रकवई 3.7800 है0 लगानी 124 रूपया 95 पैसे साल में से 1/72 भाग यानी आराजी रकवई 0.0525 हैक्टेयर जो कृषिकीय भूमि है फरीक अव्वल व होने इन्द्राज कागजात सरकार माल खतौनी वर्ष 1416 के तनहा भूमिधर मालिक काबिज व दखील है, और फरीक अव्वल ने उक्त आराजी वजरिये बैनामा नविस्ता रागेश्वर दत्तक पुत्र श्री फूल सिंह निवासी लड़ामदा, आगरा मुवरिर्खा 21.07.2011 व मुसदिदका 21.07.2011 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 7942 के सफा 329/348 में नं0 8201 पर दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई तनहा क्रय की थी और बाद खरीदारी उक्त आराजी के फरीक अव्वल को उसकी बावत पूर्ण हक मालिकाना मिस्ल वैय वगैरा हर किस्म के तनहा हासिल है। सिवाय फरीक अव्वल के अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार वगैरा उक्त हिस्सा आराजी मजकूर में नहीं है जो माने किसी प्रकार के इन्तकाल वगैरा का होवे और उक्त हिस्सा आराजी आज तक हर कर्जे व वार व इंतकालात व जुमला देनदारियों वगैरा से कतई तौर पर पाक व साफ है। अब फरीक अव्वल को उक्त आराजी रकवई 0.0525 है0 का विक्रय करना मिलने माकूल कीमत वक्त मौजूदा के मंजूर है।

संजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 162314

5

लिहाजा फरीक अव्वल ने उपरोक्त आराजी रकवई 0.0525 है0 मजकूरावाला को, कि जो साथ लगे नक्शें में व रंग लाल से जाहिर की गई है, को अपनी राजी व खुशी से बिना दवाव किसी नाजायज के मय जुमला हक हकूक दाखिल व खारिजी के विल एवज मुवलिग 3,00,000/– तीन लाख रूपया कि जिसके आधे 1,50,000/– एक लाख पचास हजार रूपया होते है बदस्त एम.आर. इन्फ्रा एस्टेट प्रा0 लि0 27/68, उमरईया वाली गली पथवारी, आगरा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि संजय दीक्षित पुत्र श्री गंगा प्रसाद दीक्षित निवासी सदरवन, बिचपुरी, आगरा को वैय कतई की और बेच दी कीमत का कुल रूपया विक्रेता ने क्रेता से नकद पेशतर वसूल पा लिये हैं और अब बावत जर समन मजकूर विक्रेता का क्रेता से कीमत में कुछ पाना शेष नहीं रहा और न कोई ताल्लुक व सरोकार आज के बाद विक्रीत आराजी से फरीक अव्वल का रहा और न भविष्य मे होगा लिहाजा कब्जा व दखल वाकई खाली बिक्रीत आराजी पर आज की तारीख से क्रेता का करा दिया है और क्रेता को आराजी मजकूर का तनहा मालिक कामिल व काबिज व दखील बना दिया है अब क्रेता को अधिकार है कि वह बिक्रीत आराजी से वहैसियत मालिक चाहे जैसे लाभान्वित होवे और रहन वैय वगैरा जो चाहे सो करे कुल अख्त्यारात निस्वत विक्रीत आराजी मजकूर तनहा खरीदार को हक मालिकाना हासिल है और आयंदा रहेगे। क्रेता अपने

संजय दीक्षित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 023269

23 MAR 2013

नाम का दाखिल खारिज जरिये बैनामा हाजा कागजात सरकार मे दर्ज करा लेवे।

अगर सानी उलहाल कोई वारिस या दावेदार कोमी या खानदानी या नीज दीगर किसी तरह का किफालतदार आराजी मजकूर मे पैदा होकर दावा व झगड़ा क्रेता से करे या उसकी वजह से या किसी दीगर वजह से आराजी मजकूर का जुज व कुल कब्जा व दखल क्रेता से निकल जावे तो ऐसी जुमला सूरतों में उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदायगी जरे समन मजकूर मय सूद हर्जा व खर्चा व लागत के जिम्मे जात व खास व जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म मिनवाया व वारिसान व कायम मुकामान विक्रेता के है और होगा क्रेता अपना कुल रूपया जरिये अदालत वसूल कर लेवे। इसमें कुछ उज्र नहीं होगा।

संजय दीक्षित

कामीनाथ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 023270

23 MAR 2013

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे व मसौदा दिनेश कुमार बंसल दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा द्वारा फरीकेन के कथनानुसार दीपक से दिनांक 31.03.2013 ई0 को प्रिन्ट कराया।

लेखक का नाम दिनेश कुमार बंसल
लाइसेंस न. 18
मान्य सन 2012 2017 तक
लेखक शुल्क........
लेखक के हस्ताक्षर........

गवाह :-

गवाह :-

मानचित्र आराजी वाके मौजा
लडामदा आगरा खसरा नं. 200

विक्रेता: श्री काली चरन

क्रेता: एम. आर. इन्फ्रा एस्टेट प्रा० लि०
नक्शे में रंग लाल से दिखाया है
रकबा: 0.0525 हेक्टे० विक्रय

कालीचरन

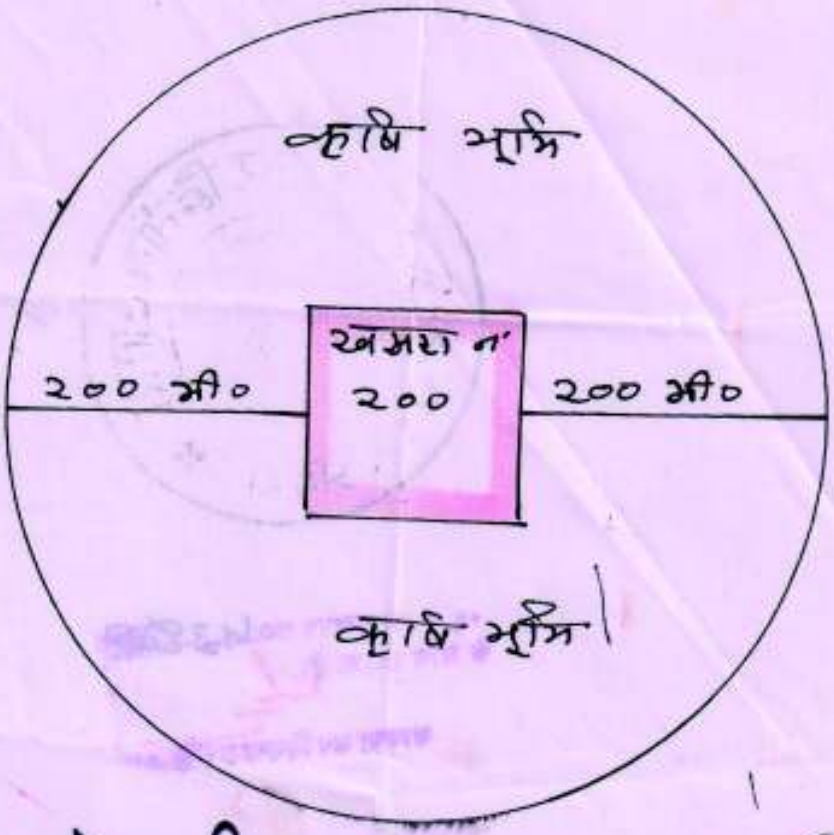

संजय दीक्षित

TRACED BY